दैनिक भास्कर
बिलासपुर भास्कर 20-07-2025

किम्स के डायरेक्टर व परिजन पर दर्ज FIR रद्द

हाई कोर्ट ने कहा - सिविल का मामला, इसमें आपराधिक केस दर्ज करना न्याय का दुरुपयोग

लीगलरिपोर्टर | बिलासपुर

हई कोर्ट ने शुक्रवार को किम्स सुपरस्पेशियलिटी अस्पताल, बिलासपुर के निदेशक डॉ. वाई. रवि शेखर, उनकी मां वई कमला और वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉ. सुधा राम के खिलाफ दर्ज दो एफआईआर निरस्त कर दी हैं। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की बेंच ने कहा कि यह विवाद पूरी तरह संपत्ति बंटवारे और वेतन भुगतान से जुड़ा सिविल मामला है। इसमें क्रिमिनल केस दर्ज करना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है। किम्स के संचालक रहे डॉ. वाईआर कृष्णा के निधन के बाद उनके उत्तराधिकारियों के बीच संपत्ति बंटवारे को लेकर विवाद शुरू हुआ। उनकी पत्नी वाई कमला और बेटे डॉ. रवि शेखर ने नामांतरण प्रक्रिया पूरी की, तो उनके एक अन्य बेटे डॉ. वाई. राजशेखर ने 2021 में सिविल लाइन थाना में एफआईआर दर्ज कराई। आरोप था कि नामांतरण फर्जी हलफनामे पर किया गया और शिकायतकर्ता व उनकी बहन को उत्तराधिकारी नहीं बताया गया। आईपीसी की धाराएं 420, 467, 468, 471 और 120बी जोड़ी गईं। दूसरी एफआईआर वेतन विवाद को लेकर दर्ज हुई। न्यूरोसर्जन डॉ. सुधा राम को भी फंसाया गया, जबकि वे संपत्ति या वित्तीय लेन-देन में शामिल नहीं थीं। याचिका में बताया गया कि वे अस्पताल की शिकायत निवारण समिति की अध्यक्ष थीं और शिकायतकर्ता के खिलाफ कार्रवाई की थी, इसलिए उनपर झूठा केस दर्ज किया गया।

याचिका में बताया- डॉ. कृष्णा की वसीयत के अनुसार नामांतरण

याचिका में तर्क दिया कि डॉ. कृष्णा ने अपने जीवनकाल में घोषणा-पत्र जारी कर शिकायतकर्ता पुत्र को संपत्ति से वंचित कर दिया था। उसी के आधार पर नामांतरण किया गया, लेकिन निजी द्वेषवश पूरे विवाद को झूठे आपराधिक मामले का रूप दे दिया गया।